लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3737

12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड जैविक प्रमाणपत्र

3737. श्री चंदूभाई छगनभाई शिहोरा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड (जीओटीएस) के साथ कपड़ा उत्पादों, सूत/कपास/कपड़े का प्रसंस्करण उन्हें जीओटीएस जैविक प्रमाणपत्र के साथ निर्यात करने में सक्षम बनाता है;

(ख) क्या नियंत्रण संघ वर्ष 2007 से जीओटीएस प्रमाणपत्र के लिए प्रमाणित हैं और वर्ष 2021 से इंटरलॉक से भी जुड़े हैं;

(ग) क्या जीओटीएस जैविक प्रमाणन के लिए इंटरटेक परीक्षण सेवा वर्ष 2021 से उपलब्ध है;

(घ) क्या इंटरटेक में किसी समस्या के कारण जीओटीएस ने इंटरटेक को 7 महीने के लिए निलंबित कर दिया था और बदले में, इंटरटेक ने गुजरात और अन्य राज्यों सहित कुछ कंपनियों को निलंबित कर दिया था तथा परिणामस्वरुप हमारे किसानों को कपास (जैविक प्रीमियम) की कीमत में भी नुकसान हो रहा है; और

(ङ) क्या जैविक सामग्री की आपूर्ति पर प्रतिबंध के कारण सभी कंपनियों के विदेशी भुगतान रोक दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन (एनपीओपी) वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और निर्यात के लिए एफटीडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित है। एनपीओपी के अंतर्गत, कपास को केवल उत्पादन स्तर तक ही प्रमाणित किया जाता है। इसके बाद, जिनिंग, प्रसंस्करण आदि जैसी उत्पादन के बाद की गतिविधियाँ निजी प्रमाणन के द्वारा की जाती हैं। ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड (जीओटीएस) एक निजी प्रमाणन है जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक टेक्सटाइल का निर्यात किया जाता है।

***